प्रेस नोट

थाना औंग पुलिस व स्वाट टीम प्रथम के साथ हुई शातिर गो तस्करो से मुठभेढ़ मे एक बदमाश घायल । कब्जे से एक गाय, गोवध के उपकरण , एक मोटरसाइकिल डिस्कवर ,अवैध तमन्चा ठेर सारा जिन्दा व खोखा कारतूस के साथ बरामद शातिर कुख्यात गोकश अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर महोदय के द्वारा दिनांक 15.03.2023 को दिये गये चेकिंग आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी महोदय बिन्दकी के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष औंग बृन्दावन राय मय पुलिस फोर्स तथा स्वाट टीम प्रथम प्रभारी मय टीम के छिवली कौडिया तिराहा थाना औग जनपद फतेहपुर मे रात्रि चेकिंग कर रहे थे । मैं थानाध्यक्ष बृंदावन राय स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अनुरुद्ध कुमार द्विवेदी से रोकथाम जुर्म जरायम के संबंध में वार्ता कर रहा था कि जरिए मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया की ग्राम छिवली कौडिया तिराहा से करीब पांच-सात सौ मीटर आगे छिवली से गलाथा कौडिया मार्ग पर बायें तरफ पाण्डु/छिवली नदी के पास दो व्यक्ति एक बछिया गोवंश को काटने के लिए ले जा रहे हैं इस सूचना पर विश्वास करके मै थानाध्यक्ष बृंदावन राय मय हमराह जुमला फोर्स व मुखबिर के छिवली गलाथा कौडिया मार्ग की तरफ पांच सात सौ मीटर आगे बढे तो मुखबिरखास द्वारा गाडी को रोकने का इशारा करते हुये बाये तरफ नीचे पाण्डु नदी के तरफ इशारा करके मौके से हट बढ गया मुखबिर द्वारा बताये हुए जगह पर कुछ हलचल सी होती हुई दिखाई दिया कि हम पुलिस वालों नें हिकमत अमली का प्रयोग करते हुये आगे बढते हुये जेसै ही हलचल वाले स्थान के पास पँहुचे अचानक टार्च की रोशनी लगा कर देखा तो दो व्यक्ति एक बछिया को गिराए हुए चारों पैर बांधे हुए बांका /कुल्हाडी लेकर काटने ही जा रहे थे कि हम पुलिस वालों ने जोर से ललकारा तो उन दोनों व्यक्तियों ने अपनी तरफ आता देखकर चिल्लाते हुए कि भाग पुलिस आ गयी औरं जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों के ऊपर फायर कर दिया और हम पुलिस वाले बाल बाल बच गये पुनः हम पुलिस वालों द्वारा गोकश बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु बदमाशों द्वारा हम पुलिस वालों की आवाज को लक्ष्य बनाकर गोकश बदमाशो द्वारा दोबारा फायर किया गया । हम पुलिस वालों के पास आत्मसमर्पण कराने के लिये कोई अन्य चारा न होने के कारण थानाध्यक्ष एंव स्वाट प्रभारी द्वारा नजदीक से नजदीक पहुँच कर गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण कराने की नियत से आत्मरक्षार्थ एक-एक फायर किया गया तो एक गोली अभियुक्त के दाहिने पैर पर लगी पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया अपना नाम कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती उम्र 32 वर्ष निवासी कोडा रजोडा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर बताया तथा पकडे गये बदमाश से एक अदद तमंचा 315 बोर , 01 अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर अभियुक्त के पास से कुल्हाड़ी ,एक बांका, दो छुरी, दो टुकड़ा रस्सी तथा एक तिरपाल पीले रंग का व बजाज डिस्कवर मो0सा0 UP 71AC9950 बरामद हुआ तथा एक अभियुक्त मिण्टू उर्फ अली अहमद पुत्र इदरीश निवासी कसौडा सात आना कस्बा ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर मौके से अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गया ।अभियुक्त कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती उम्र 32 वर्ष निवासी कोडा रजोडा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुअसं0 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व भागे हुये अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त कबलू उर्फ इश्तियाक उपरोक्त को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया।अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी - एक अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर अभियुक्त के पास से कुल्हाड़ी ,एक बांका, दो छुरी, दो टुकड़ा रस्सी तथा एक तिरपाल पीले रंग का व बजाज डिस्कवर मो0सा0 UP 71AC9950

गिरफ्तारी स्थल/समय– छिवली से गलाथा कौडिया मार्ग पर बायें तरफ पाण्डु/छिवली नदी के पास समय 23.25 बजे दिनांक 15.03.2023

गिरफ्तार अभियुक का नाम –1. कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती उम्र 32 वर्ष निवासी कोडा रजोडा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

फरार अभियुक्त - 1. मिण्टू उर्फ अली अहमद पुत्र इदरीश निवासी कसौडा सात आना कस्बा ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर

अभियुक्त कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 137/16 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बकेवर फतेहपुर ।

2.मु0अ0सं0 168/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानाबाद।

3.मु0अ0सं0 02/20 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर ।

4. मु0अ0सं0 48/20 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर।

5.मु0अ0सं0 144/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद फतेहपुर ।

6. मु0अ0सं0 155/20 धारा 4/5 वि0 पदार्थ अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर।

7.मु0अ0सं0 141/19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानाबाद फतेहपुर।

8.मु0असं0 01/05 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर।

9. मु0अ0सं0 54/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना ललौली फतेहपुर।

10. मु0अ0सं0 34/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5क/8 गोवध नि0 अधि0 थाना औंग फतेहपुर।

भागे हुये अभियुक्त मिण्टू उर्फ अली अहमद पुत्र इदरीश का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 54/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना ललौली फतेहपुर।

2.मु0अ0सं0 282/14 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना ललौली फतेहपुर।

3. मु0अ0सं0 351/14 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना ललौली फतेहपुर।

4.मु0अ0सं0 105/05 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना ललौली फतेहपुर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री बृंदावन राय
2. उ0नि0 श्री हरिनाथ सिंह
2.उ0नि0 श्री बनवीर सिंह
3.हे0कां0 रियाजुल हक
4.का0 विनीत कुमार
5.का0 जितेन्द्र सिंह
6.का0 खुर्शीद आलम

1. स्वाट टीम प्रभारी प्रथम उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार द्विवेदी
2. हे0कां0 पंकज
3. हे0कां0 अनिल सिंह
4. कां0 अतुल त्रिपाठी
5. कां0 विपिन मिश्रा